Annexure-II A

# REVIEW OF THE ACCOUNTS AND AUDIT REPORT FOR THE YEAR 2018-19 OF DEENDAYAL PORT TRUST

## Overview

### 1. Operational Performance Traffic (including cargo equipment utilization)

The year 2018-19 recorded an increase of 4.82 % in traffic. The Port has handled 115.40 million tons of cargo during 2018-19 as against 110.10 million tons in 2017-18. The traffic at Kandla and Vadinar is tabulated below:

(In Million tons)

| Particulars | Actual 2018-19 | Actual 2017-18 |
|---|---|---|
| Import at Kandla | 35.95 | 30.87 |
| Export at Kandla | 18.88 | 13.70 |
| **Total at Kandla** | **53.95** | **44.57** |
| Import at Vadinar | 42.96 | 44.81 |
| Export at Vadinar | 11.27 | 12.35 |
| **Total at Vadinar** | **54.23** | **57.16** |
| Import at BOT | 5.86 | 5.46 |
| Export at BOT | 0.85 | 2.34 |
| **Total at BOT** | **6.71** | **7.80** |
| Transshipment | 0.51 | 0.57 |
| **Grand Total** | **115.40** | **110.10** |

The details of availability and utilisation of equipment are furnished as under: -

### 1. AVAILABILITY OF EQUIPMENTS:

| Sr. No | Name of Equipment | Actual 2018-19 | | Actual 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Availability | Utilisation | Availability | Utilisation |
| 1 | Wharf Cranes | 66.68% | 33.57% | 66.15% | 26.62% |
| 2 | Mobile Harbour Cranes | 63.16% | 30.66% | 94.40% | 49.39% |
| 3 | Forklift Truck | 94.97% | 22.17% | 92.37% | 50.73% |
| 4 | Steel Floating Dry Dock | 100% | 96.71% | 100.00% | 95.58% |
| 5 | Tug | 67.06% | 12.2% | 65.26% | 14.71% |
| 6 | Launches | 76.77% | 10.66% | 67.00% | 14.00% |

### 2. Financial Position: -

The following table indicates the financial position of the Port Trust.

(Rs. in crores)

| A. | LIABILITIES | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| a) | Capital Reserve | 2659.87 | 2317.13 |
| b) | Revenue Reserve | 2297.68 | 2364.28 |
| d) | Capital debt | 16.12 | 16.12 |
| e) | Current Liability & Provisions | 3517.55 | 2982.84 |
| | **Total Liability** | **8491.21** | **7680.36** |
| **B.** | **ASSETS** | | |
| a) | Fixed asset less depreciation | 1811.23 | 1298.28 |
| b) | Capital work in progress | 310.92 | 456.47 |
| c) | Investment | 1048.99 | 1150.29 |
| d) | Current asset | 5232.66 | 4775.32 |
| | **Total Asset** | **8403.79** | **7680.36** |
| **C.** | **Working capital** | **1715.11** | **1792.48** |
| **D.** | **Capital employed** | **3526.34** | **3090.76** |
| **E.** | **Net Worth** | **4957.55** | **4681.41** |
| **F.** | **ROR on Capital employed** | **6.91** | **8.56** |
| **G.** | **Operating ratio** | **42.56%** | **45.95%** |

अनुबंध-II क

**दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा**

**अवलोकन**

**1. परिचालन निष्पादन यातायात (नौभार उपस्कर उपयोग सहित)**

वर्ष 2018-19 के दौरान यातायात में 4.82% की वृद्धि दर्ज की गई । पोर्ट ने वर्ष 2017-18 के दौरान 110.10 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 115.40 मिलियन टन नौभार संभाला । कंडला तथा वाडीनार संबंधी यातायात नीचे सारणीबद्ध है:-

(मिलियन टनों में)

| विवरण | वास्तविक 2018-19 | वास्तविक 2017-18 |
|---|---|---|
| कंडला में आयात | 35.95 | 30.87 |
| कंडला में निर्यात | 18.88 | 13.70 |
| **कंडला में कुल** | **53.95** | **44.57** |
| वाड़ीनार में आयात | 42.96 | 44.81 |
| वाड़ीनार में निर्यात | 11.27 | 12.35 |
| **वाड़ीनार में कुल** | **54.23** | **57.16** |
| बीओटी पर आयात | 5.86 | 5.46 |
| बीओटी पर निर्यात | 0.85 | 2.34 |
| बीओटी पर कुल | **6.71** | **7.80** |
| यानान्तरण | 0.51 | 0.57 |
| **कुल योग** | **115.40** | **110.10** |

उपस्करों की उपलब्धता और उपयोग के ब्यौरे निम्नवत् सारणीबद्ध हैं :-

1. **उपस्करों की उपलब्धता :**

| क्र. सं. | उपस्कर का नाम | वास्तविक 2018-19 | | वास्तविक 2017-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपलब्धता | उपयोग | उपलब्धता | उपयोग |
| 1 | **भरणघाट क्रेन** | 66.68% | 33.57% | 66.15% | 26.62% |
| 2 | **चल हार्बर क्रेन** | 63.16% | 30.66% | 94.40% | 49.39% |
| 3 | **फोर्कलिफ्ट ट्रक** | 94.97% | 22.17% | 92.37% | 50.73% |
| 4 | **इस्पाती प्लावी शुष्क गोदी** | 100% | 96.71% | 100.00% | 95.58% |
| 5 | **कर्षनौका** | 67.06% | 12.2% | 65.26% | 14.71% |
| 6 | **लाँच** | 76.77% | 10.66% | 67.00% | 14.00% |

2. **वित्तीय स्थिति**

निम्नलिखित सारणी पोर्ट ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति दर्शाती है ।

(रुपए करोड़ों में)

| क. | देयताएँ | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| अ) | पूंजीगत आरक्षित | 2659.87 | 2317.13 |
| आ) | राजस्व आरक्षित | 2297.68 | 2364.28 |
| इ) | पूंजीगत ऋण | 16.12 | 16.12 |
| ई) | चालू देयताएं तथा प्रावधान | 3517.55 | 2982.84 |
| | **कुल देयताएं** | **8491.21** | **7680.36** |
| **ख.** | **परिसंपत्तियां** | | |
| अ) | स्थायी परिसंपत्तियां- घटाएं: मूल्यह्रास | 1811.23 | 1298.28 |
| आ) | चालू पूंजीगत कार्य | 310.92 | 456.47 |
| इ) | निवेश | 1048.99 | 1150.29 |
| ई) | चालू परिसंपत्तियां | 5232.66 | 4775.32 |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | **8403.79** | **7680.36** |
| ग. | कार्यशील पूँजी | **1715.11** | **1792.48** |
| घ. | नियोजित पूंजी | **3526.34** | **3090.76** |
| च. | शुद्ध संपत्ति मूल्य | **4957.55** | **4681.41** |
| छ. | नियोजित पूंजी पर आर ओ आर | **6.91** | **8.56** |
| ज. | परिचालन अनुपात | **42.56%** | **45.95%** |

**3. Capital Expenditure: -**

The capital expenditure incurred is shown below: -

(Rs. in crores)

| S. No. | Particulars | Actual 2018-19 | Actual 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | Deepening of Channel / Berth etc. | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Construction / Strengthening of Berths | 187.59 | 125.77 |
| 3 | Procurement of Craft / Equipment | 13.68 | 45.49 |
| 4 | Rail & Road connectivity | 23.52 | 67.67 |
| 5 | Green Energy Project | 41.43 | 55.42 |
| 6 | Smart Industrial Port City | 133.96 | 4.35 |
| 7 | Other works including Upto Rs. 5 crores | 63.87 | 40.46 |
| | **Total** | **464.05** | **339.16** |

The total capital expenditure has been funded out of internal resources of the Port.

**4. Plan Works**

The expenditure incurred on major schemes during 2018-19 is given as under: -

| S. No. | Particulars | Amount in Crore |
|---|---|---|
| 1 | Construction of 16th Berth for Multipurpose Cargo other than liquid at Cargo Jetty | 84.64 |
| 2 | Retrofitting to existing cargo berth no.1 to 5 | 8.17 |
| 3 | Construction of 14th Berth for Multipurpose Cargo other than liquid/container at Cargo Jetty | 94.10 |
| 4 | Purchase of 1 No. Tug in replacement of MT Mekan | 4.56 |
| 5 | Purchase of 1 No. Tug in replacement of MT Jumbo | 4.56 |
| 6 | Installation of Radiological detection equipment at entry/ exit points of DPT | 4.40 |
| 7 | Providing additional Railway from takeoff points to western corner of Berth no. 16, 15 & 16 | 22.69 |
| 8 | Development of Smart Industrial Port City at Kandla – Gandhidham – Adipur Complex | 133.96 |
| 9 | Improving the entry gates of Cargo Jetty, Bunder Basin & Oil Jetty including Landscaping work or road from Maharao circle to North gate at New Kandla | 4.03 |
| 10 | Providing infrastructure facility in liquid storage at Kandla - Improving road network, construction parking plot, toilet block, canteen facilities, SWD, Road, lighting, plantation & compound wall | 6.21 |
| 11 | Development and Generating of electricity from renewable source of energy at DPT – 14MV Wind Energy Project | 41.43 |
| 12 | Mechanization of dry cargo berth no.5 for export of Agri Product (renamed as mechanization of handling of fertilizers at Kandla Port) | 5.87 |

**5. Staff Strength/H.R.D.: -**

The details of the staff strength and cost there in is as under: -

| S. No. | Particulars | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | Class – I | 89 | 81 |
| 2 | Class – II | 61 | 59 |
| 3 | Class – III | 998 | 1037 |
| 4 | Class – IV | 604 | 688 |
| 5 | Shore workers | 188 | 205 |
| 5 | Dock Labour | 506 | 516 |
| | **Total Nos.** | **2446** | **2586** |
| | **Employees cost in crore** | **262.97** | **260.19** |

3. **पूंजीगत व्यय :-**

वहन किए गए पूंजीगत व्यय नीचे दर्शाए गए हैं : -

(रू करोड़ में )

| क्रम सं. | विवरण | वास्तविक 2018-19 | वास्तविक 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | चैनल /घाट इत्यादि को गहरा करना | 0.00 | 0.00 |
| 2 | घाट का निर्माण/सुदृढ़ीकरण | 187.59 | 125.77 |
| 3 | जलयान /उपस्कर की खरीदारी | 13.68 | 45.49 |
| 4 | रेल तथा सड़क संयोजन | 23.52 | 67.67 |
| 5 | हरित ऊर्जा परियोजना | 41.43 | 55.42 |
| 6 | स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट सिटी | 133.96 | 4.35 |
| 7 | रू. 5 करोड़ तक के अन्य कार्य | 63.87 | 40.46 |
| | **कुल** | **464.05** | **339.16** |

कुल पूंजीगत व्यय को पोर्ट के आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित किया जाता है ।

4. **योजनागत कार्य**

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित मुख्य योजनाओं में हुए व्यय निम्नवत् हैं : -

| क्रम सं. | विवरण | राशि करोड़ में |
|---|---|---|
| 1 | नौभार जेटी में तरल के अलावा बहुउद्देशीय नौभार हेतु 16वें घाट का निर्माण | 84.64 |
| 2 | मौजूदा नौभार घाट सं.1 से 5 का पुन: संयोजन | 8.17 |
| 3 | नौभार जेटी में तरल/कंटेनर के अलावा बहुउद्देशीय नौभार हेतु 14वें घाट का निर्माण | 94.10 |
| 4 | एमटी मेकन के प्रतिस्थापन में 1 नंबर कर्षनौका की खरीद | 4.56 |
| 5 | एम टी जंबो के प्रतिस्थापन में 1 नंबर कर्षनौका की खरीद | 4.56 |
| 6 | डीपीटी के प्रवेश / निकास बिंदु पर रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरण की स्थापना | 4.40 |
| 7 | प्रस्थान-विंदु से घाट सं. 16, 15 और 16 के पश्चिमी कोने तक अतिरिक्त रेल-सुविधा उपलब्ध कराना | 22.69 |
| 8 | कंडला - गांधीधाम - आदिपुर संकुल में स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट सिटी का विकास | 133.96 |
| 9 | नया कंडला में महाराव सर्कल से उत्तरी द्वार तक भूदृश्य और सड़क निर्माण-कार्य सहित नौभार जेटी, बंदर बेसिन और तेल जेटी के प्रवेश द्वार में सुधार करना | 4.03 |
| 10 | कंडला में तरल भंडारण में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराना -सड़क संजाल में सुधार, पार्किंग स्थल का निर्माण, शौचालय खंड, कैन्टीन सुविधाएं, एसडब्लयूडी, मार्ग, प्रकाश-व्यवस्था, वृक्षारोपण एवं अहाते की दीवार | 6.21 |
| 11 | डीपीटी में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से बिजली का विकास और उत्पादन – 14 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना | 41.43 |
| 12 | कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु शुष्क नौभार घाट सं.5 का मशीनीकरण (कंडला पोर्ट में उर्वरकों के प्रहस्तन के मशीनीकरण के रूप में नया नाम दिया गया है) | 5.87 |

5. **कर्मचारियों की संख्या/मा.सं.वि.:-**

कर्मचारियों की संख्या और उसकी लागत के ब्यौरे निम्नवत् हैं : -

| क्रम सं. | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रेणी- I | 89 | 81 |
| 2 | श्रेणी- II | 61 | 59 |
| 3 | श्रेणी- III | 998 | 1037 |
| 4 | श्रेणी- IV | 604 | 688 |
| 5 | तटीय कामगार | 188 | 205 |
| 5 | गोदी श्रमिक | 506 | 516 |
| | **कुल संख्या.** | **2446** | **2586** |
| | **कर्मचारियों की लागत करोड़ में** | **262.97** | **260.19** |

## 6. Productivity

### A. EFFICIENCY PARAMETERS:

**i) Average ship berth day out put: (In tons)**

| S. No. | Category | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1. | Liquid bulk | 28306 | 29394 |
| 2. | Dry bulk | 15306 | 14812 |
| 3. | Break bulk | 3762 | 3729 |
| 4. | Containers * | 15704 | 12552 |
| 5. | Overall | 17425 | 18531 |

(*) Containers handled only by private operator KICT as per license agreement. No containers handled by port.

**ii) Overall Idle time at berth as percentage of total stay of vessels at berth. (all vessels)**

| S. No. | Category | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1. | Overall | 20% | 17% |

**iii) Average pre-berthing detention of vessels (in days)**

| S. No. | Category | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Liquid Bulk** | | |
| | On Port Account | 0.48 | 0.13 |
| | On Non-Port Account | 1.90 | 2.19 |
| 2 | **Dry Bulk** | | |
| | On Port Account | 0.21 | 0.09 |
| | On Non-Port Account | 1.38 | 1.05 |
| 3 | **Break Bulk** | | |
| | On Port Account | 0.76 | 0.18 |
| | On Non-Port Account | 1.90 | 1.76 |
| 4 | **Container – (handled by Kandla port)** | | |
| | On Re Account | 0.09 | - |
| | On Non-Port Account | 0.56 | 1.76 |
| 5 | **Overall** | | |
| | On Port Account | 0.42 | 0.12 |
| | On Non-Port Account | 1.64 | 1.78 |

**(iv) Average turn round time of vessels (in days) – Based on BERMAN**

| S. No. | Category | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Liquid Bulk** | | |
| | On Port Account | 2.17 | 1.57 |
| | On Non-Port Account | 0.24 | 0.35 |
| 2 | **Dry Bulk** | | |
| | On Port Account | 3.52 | 2.89 |
| | On Non-Port Account | 0.28 | 0.47 |
| 3 | **Break Bulk** | | |
| | On Port Account | 5.00 | 4.00 |
| | On Non-Port Account | 0.13 | 0.39 |
| 4 | **Container – (handled by Kandla port)** | | |
| | On Port Account | 1.20 | 0.92 |
| | On Non-Port Account | 0.03 | 0.20 |
| 5 | **Overall** | | |
| | On Port Account | 2.79 | 2.14 |
| | On Non-Port Account | 0.22 | 0.38 |

6.उत्पादकता

क. कार्यक्षमता पैरामीटर:

i) औसत जलयान घाट दिवस उत्पादन: (टनों में )

| क्र.सं. | वर्ग | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1. | तरल बल्क | 28306 | 29394 |
| 2. | शुष्क बल्क | 15306 | 14812 |
| 3. | ब्रेक बल्क | 3762 | 3729 |
| 4. | कंटेनर (कंडला पोर्ट द्वारा प्रहस्तन ) | 15704 | 12552 |
| 5. | समग्र | 17425 | 18531 |

(*) अनुज्ञप्ति करार के अनुसार निजी प्रचालक केआईसीटी द्वारा ही कंटेनरों का प्रहस्तन किया गया । पोर्ट द्वारा कंटेनरों का प्रहस्तन नहीं किया गया ।

ii) बर्थ पर जहाजों के कुल ठहराव के प्रतिशत के रूप में बर्थ पर कुल मिलाकर निष्क्रिय समय। (सभी बर्तन)

| क्र.सं. | वर्ग | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1. | कुल | 20% | 17% |

iii) जलयानों के घाट पर लगने से पूर्व औसत अवरोध (दिनों में )

| क्र.सं. | वर्ग | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | तरल बल्क | | |
| | पोर्ट के कारण | 0.48 | 0.13 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 1.90 | 2.19 |
| 2 | शुष्क बल्क | | |
| | पोर्ट के कारण | 0.21 | 0.09 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 1.38 | 1.05 |
| 3 | ब्रेक बल्क | | |
| | पोर्ट के कारण | 0.76 | 0.18 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 1.90 | 1.76 |
| 4 | कंटेनर (कंडला पोर्ट द्वारा प्रहस्तन ) | | |
| | पोर्ट के कारण | 0.09 | - |
| | पोर्टेत्तर कारण | 0.56 | 1.76 |
| 5 | समग्र | | |
| | पोर्ट के कारण | 0.42 | 0.12 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 1.64 | 1.78 |

(iv) जलयानों का औसत आवागमन समय (दिनों में ) - बरमन (बीइआरएमएएन) पर आधारित

| क्र.सं. | वर्ग | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | तरल बल्क | | |
| | पोर्ट के कारण | 2.17 | 1.57 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 0.24 | 0.35 |
| 2 | शुष्क बल्क | | |
| | पोर्ट के कारण | 3.52 | 2.89 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 0.28 | 0.47 |
| 3 | ब्रेक बल्क | | |
| | पोर्ट के कारण | 5.00 | 4.00 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 0.13 | 0.39 |
| 4 | कंटेनर (कंडला पोर्ट द्वारा प्रहस्तन ) | | |
| | पोर्ट के कारण | 1.20 | 0.92 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 0.03 | 0.20 |
| 5 | समग्र | | |
| | पोर्ट के कारण | 2.79 | 2.14 |
| | पोर्टेत्तर कारण | 0.22 | 0.38 |

## 7. Industrial Relations: -

Industrial Relations continued to be cordial in Deendayal Port Trust with frequent meeting between representatives of union and managements for Redressal of grievances/ disputes arising from time to time. As much as three industrial disputes were settled/ closed during the year 2018-19 with the co-operation of Trade Union.

## 8. Welfare Activities: -

The details of expenditure incurred on various welfare activities are furnished as under: -

**(Rs. in lakhs)**

| Sr. No. | Particulars | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | Medical financial assistance | 0.87 | 2.78 |
| 2 | Sports & cultural program | 23.92 | 6.06 |
| 3 | Diet allowance to sports persons | 0.22 | 0.70 |
| 4 | Prizes & celebration of republic etc | 8.50 | 9.48 |
| 5 | Expenses for women cell | - | 1.45 |
| 6 | Festival Celebration | 6.15 | 4.06 |
| 7 | Scholarship | 2.89 | 2.70 |
| 8 | Momento to retired employee | 5.16 | 4.93 |
| 9 | Transport facility to employee | 219.30 | 175.62 |
| 10 | Family Security Scheme(Funeral) | 2.10 | 6.20 |
| 11 | DPT SC/ST Union/Club | 4 | 4.00 |
| 12 | Silver Coin for No.1 Major Port | - | 96.00 |
| 13 | Welfare at Vadinar | - | 4.46 |
| 14 | Pre- retirement Training Programme | 0.68 | - |
| 15 | Various days celebration | 3.45 | - |
| | **Total** | 277.30 | **318.44** |

## 9. Accidents/Safety Measures: -

| Accidents Summary 2018-19 | | | |
|---|---|---|---|
| **YEAR** | **FATAL** | **NON-FATAL** | **Total Incidents** |
| **2018-19** | 4 | 9 | 13 |

**Safety Measures Adopted in DPT:**

1. Safety Training:

- Total **16** no of safety training modules have been prepared for dock workers.
- Need based training through internal/external trainer.
- Total **57** nos. of training program have been conducted.
- Total **1432** nos. of personnel have been trained.

| SR. NO | TRAINING NAME | NO. OF PARTICIPANTS |
|---|---|---|
| 1 | Hazardous Chemical Handling | 37 |
| 2 | Safe Material Handling | 22 |
| 3 | Statutory requirements of Safety in Port | 36 |
| 4 | Safety, Health and Fire Orientation Program for Crane operators | 21 |
| 5 | Safety, Health and Fire Orientation Program for Traffic department employees | 16 |
| 6 | On field awareness training to workers (Weekly basis) (52 Nos. of programs) | 1300 (Group of 20-25 workers at various areas of DPT) |

7. **औद्योटगिक संबंध :-**

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में औद्योगिक संबध सौहार्द्रपूर्ण बने रहे । समय-समय पर उठनेवाली शिकायतें / विवादों के निराकरण हेतु यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बैठकें हुई । वर्ष 2018-19 के दौरान अधिकतम तीन औद्योगिक विवादों को ट्रेड यूनियन के सहयोग से निपटाया / बंद किया गया ।

8. **कल्याणकारी क्रियाकलाप:**

विभिन्न कल्याणकारी क्रियाकलापों पर किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नवत् के अधीन है :-

(रू. लाख में)

| क्र.सं. | विवरण | 2018-19 | 2017-18 |
|---|---|---|---|
| 1 | चिकित्सा संबंधी वित्तीय सहायता | 0.87 | 2.78 |
| 2 | खेलकूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम | 23.92 | 6.06 |
| 3 | खिलाड़ियों को आहार भत्ता | 0.22 | 0.70 |
| 4 | गणतंत्र दिवस समारोह और पुरस्कार इत्यादि | 8.50 | 9.48 |
| 5 | महिला प्रकोष्ठ संबंधित व्यय | - | 1.45 |
| 6 | त्यौहारों का मनाया जाना | 6.15 | 4.06 |
| 7 | छात्रवृत्ति | 2.89 | 2.70 |
| 8 | सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति -चिह्न | 5.16 | 4.93 |
| 9 | कर्मचारियों को यातायात सुविधा | 237.51 | 175.62 |
| 10 | परिवार सुरक्षा योजना ( अंत्येष्टि ) | 2.10 | 6.20 |
| 11 | कंडला पोर्ट ट्रस्ट अ.जा./अ.ज.जा.संघ/क्लब | 4 | 4.00 |
| 12 | नं.1 महापत्तन के लिए चाँदी के सिक्के | - | 96.00 |
| 13 | वाड़ीनार में कल्याकारी कार्य | - | 4.46 |
| 14 | सेवानिवृत्ति - पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम | 0.68 | - |
| 15 | विभिन्न दिवसों का आयोजन | 3.45 | - |
| | कुल | **295.45** | **318.44** |

9. **दुर्घटनाएं /सुरक्षा उपाय: -**

| दुर्घटनाओं से संबंधित सार 2018-19 | | | |
|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **घातक** | **गैर-घातक** | **कुल दुर्घटनाएं** |
| 2018-19 | 4 | 9 | 13 |

**डीपीटी द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपाय :**

1. सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण:

- गोदी कामदारों के लिए कुल 16 सुरक्षा-प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं ।
- आंतरिक / बाहरी प्रशिक्षक के माध्यम से आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण ।
- कुल 57 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए ।
- कुल 1432 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया ।

| क्रम संख्या | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रहस्तन | 37 |
| 2 | सुरक्षित सामग्री पहस्तन | 22 |
| 3 | पोर्ट में सुरक्षा की सांविधिक अपेक्षाएं | 36 |
| 4 | क्रेन प्रचालकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और अग्नि उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 21 |
| 5 | यातायात विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और अग्नि उन्मुखीकरण कार्यक्रम | 16 |
| 6 | कामदारों को बहिक्षेत्रीय जागरूकता हेतु प्रशिक्षण (साप्ताहिक आधार पर ) (52 कार्यक्रम) | 1300 (डीपीटी के विभिन्न क्षेत्रों के 20-25 कामदारों का समूह) |

2. Personal Protective Equipment:

DPT has adopted 5 mandatory PPEs which are to be wear based on working area/activity inside port. PPEs which are adopted are Safety Helmet, Safety Shoes, Fluorescent Jackets, Face Mask & Hand Gloves. The stevedores who are not complying this rule are being penalized with penalty amount Rs. 25000/- for each violation.
This has improved the overall compliance of PPEs in port area.

3. Equipment inspection & certification (crane/loader/excavator/fork lift):

All Lifting equipment working inside the port are being checked and certified for enhancement of safety in port. Total 8 types of documents and 26 no of check points have been prepared and checked during the inspection of equipment. More than 500 nos. of equipment inspected from May 2018 to till date.

4. Safety rules for two wheelers usage in port:

To ensure safety of two wheelers working inside DPT, Safety rules for the two wheeler usage in port has been prepared as a part of traffic safety management in DPT.

- Helmet should be worn by both driver as well as pillion rider.
- Overtaking of any vehicle is not permitted by two wheelers.
- Do not drive two or more two wheelers in parallel. Only lane driving is permitted.
- No more than two passengers are allowed on two wheelers.
- No load to be carried on two wheelers. Always use utility vehicles for the material transportation.
- Use of mobile phone while riding a two wheelers is not permitted.
- Maximum speed limit for vehicle inside the DPT is 15 km/hr.
- Consuming alcohol, drugs, sleeping pills, or any other item, which may retard the body response required for efficient driving, is strictly prohibited.
- A driver of a two wheeler shall not park his vehicle at Wharf area and at no parking area.

To enforce this rules, Violator of this rule is restricted in DPT for one-month period or apology letter is being taken from violator for non-compliance.

5. Hazard identification and incident reporting system:

To identify the hazards at work place and to mitigate the risk associated with that hazard, the format for the hazard identification and reporting is introduced. Once the Incident occurs, it is also important to investigate that incident and identify the root cause of the incident to avoid the reoccurrence of the similar type of incident. To make the investigation process standardize the various forms are introduced in DPT like: -
(1) incident reporting form (to be filled by shift in charge),
(2) Work injury report (to be filled by duty doctor/ first aider),
(3) fire reporting form (to be filled by fire shift officer),
(4) Incident investigation form (to be filled by investigation team). Dangerous occurrence/ Near miss / Process near miss/ Unsafe condition reporting form which can be filled by any personnel working in port.
This system helps to identify the hazard at earlier stage and prevent any dangerous occurrence or serious accident.
Also as per Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Regulations, 1990, Form No-XII (REPORTING OF ACCIDENTS AND DANGEROUS OCCURRENCES) is filled regularly and submitted to Inspectorate of dock safety-Kandla Office whenever there is any incident occurs in port.

6. Visual awareness:

To create visual awareness among the dock workers, Safety Banners and posters are displayed at various location in port area. This helps to educate dock workers on daily basis and reminds them for maintaining positive safety culture in port.

7. Safety campaign:
Dock Safety Week has been celebrated by DPT with following objectives:

- to achieve participation of dock workers.
- to promote use of participative approach by employers by involving their employees in safety activities.

2. वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर (पी पी ई) :
डीपीटी ने 5 अनिवार्य वैयक्तिक सुरक्षा उपस्करों को अपनाया है जो कि बंदरगाह के अंदर कार्य क्षेत्र / गतिविधि के आधार पर पहना जाना अपेक्षित है। अपनाए गए वैयक्तिक सुरक्षा उपस्करों में सुरक्षा-हेलमेट, सुरक्षा-जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, फेस मास्क एवं दस्ताने शामिल हैं । इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाले स्टीवडोरों को प्रत्येक बार किए गए उल्लंघन के लिए रु. 25000/- की जुर्माना राशि द्वारा दंडित किया जाता है ।

इससे बंदरगाह क्षेत्र में पीपीई के समग्र अनुपालन में सुधार हुआ है।

3. उपस्कर का निरीक्षण एवं प्रमाणन (क्रेन/भारक/उत्खनक/फोर्क लिफ्ट) :
पोर्ट की सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु पोर्ट के अंदर कार्यरत सभी उत्तोलक उपस्कर की जांच कर उन्हें प्रमाणित किया जा रहा है । उपस्करों के निरीक्षण के दौरान कुल 8 प्रकार के दस्तावेज और 26 जांच-विंदु तैयार किए गए हैं और उनकी जांच की गई है । मई 2018 से अब तक 500 से भी अधिक उपस्करों का निरीक्षण किया गया ।

4. पोर्ट में दुपहिया वाहनों के उपयोग से संबंधित सुरक्षा नियम :
डीपीटी के अंदर उपयोग में लाए जा रहे दुपहिया वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीपीटी में यातायात सुरक्षा प्रबंधन के एक भाग के रूप में दुपहिया वाहनों के उपयोग से संबंधित सुरक्षा नियम बनाए गए हैं ।

- चालक और पिछली सीट पर बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना होगा ।
- दुपहिया वाहनों को किसी भी वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है ।
- दो दुपहिया वाहन समानांतर में न चलाएं । केवल लेन के अंदर ही वाहन चलाने की अनुमति है ।
- दुपहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारियों की अनुमति नहीं है ।
- दुपहिया वाहनों पर भारी सामान नहीं ढोना है । सामगियों के परिवहन के लिए हमेशा यूटीलिटी वाहनों का उपयोग करें ।
- दुपहिया वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं है ।
- डीपीटी के अंदर वाहन की अधिकतम गति सीमा 15 कि.मी प्रति घंटा है ।
- अल्कोहल, ड्रग्स, नींद की गोलियां या किसी भी अन्य ऐसी वस्तु का सेवन सख्त वर्जित है, जो कि कुशल ड्राइविंग के लिए अपेक्षित शारीरिक प्रतिक्रिया को मंद कर सकता है ।
- दुपहिया वाहन का ड्राइवर व्हार्फ क्षेत्र तथा नो पार्किंग क्षेत्र में अपना वाहन पार्क नहीं करेगा ।

इस नियम को लागू करने के लिए, नियम का उल्लंघनकर्ता एक महीने की अवधि के लिए डीपीटी में प्रतिबंधित रहता है अथवा इसके गैर-अनुपालन हेतु उल्लंघनकर्ता से माफीनामा भी लिया जाता है।

5. खतरों की पहचान और घटना संबंधी सूचनां-प्रणाली :
कार्य स्थल पर खतरों की पहचान करने तथा उस खतरे से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, खतरों की पहचान और सूचना देने के लिए प्रारूप प्रयुक्त किया जाता है। एक बार घटना घट जाने पर उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति को टालने के लिए उस घटना की जांच करना और घटना के मूल कारण की पहचान करना भी अत्यावश्यक है ।

जांच प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए डीपीटी में विभिन्न प्रकार के प्रारूपों समाविष्ट किए गए हैं जैसे : -
(1) घटना की रिपोर्टिंग का प्रारूप ( पाली प्रभारी द्वारा भरा जाए),
(2) कार्य के दौरान चोट की रिपोर्ट (ड्यूटी डॉक्टर/प्रथोमचारक द्वारा भरा जाए),
(3) अग्नि संबंधी रिपोर्टिंग का प्रारूप (पाली अधिकारी द्वारा भरा जाए ),
(4) घटना की जांच से संबंधित प्रारूप (जांच-दल द्वारा भरा जाए). खतरनाक हादसा/ बाल-बाल बचना/ बाल-बाल बचने की प्रक्रिया/ असुरक्षित स्थिति की रिपोर्टिंग का प्रारूप जिसे पोर्ट में काम करने वाले किसी भी कार्मिक द्वारा भरा जा सकता है ।

यह प्रणाली पहले चरण में खतरे की पहचान करने और किसी भी खतरनाक हादसे या गंभीर दुर्घटना को रोकने में मदद करती है।

इसके अलावा गोदी कामदार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) विनियम, 1990 के अनुसार, प्रपत्र सं.-XII (दुर्घटनाओं एवं खतरनाक हादसों की रिपोर्टिंग) नियमित रूप से भरा जाता है और जब कभी भी पोर्ट में कोई घटना घटती है तो गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय - कंडला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है ।

6. दृष्टिगत जागरूकता :
गोदी कामदारों में दृष्टिगत जागरूकता पैदा करने के लिए पोर्ट क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं। यह गोदी कामदारों को शिक्षित करने में दैनिक आधार पर मदद करता है और उन्हें पोर्ट में सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति को कायम रखने की बात को स्मरण कराता है।

7. सुरक्षा अभियान:
डीपीटी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनार्थ गोदी सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है :

- गोदी कामदारों की भागीदारी प्राप्त करना ।
- सुरक्षा गतिविधियों में अपने कर्मचारियों को शामिल करते हुए नियोजकों द्वारा सहभागी दृष्टिकोण के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ।

- to promote development of need-based activities, self-compliance with statutory requirements and professional safety management systems at work places.
- to remind employers, employees and others concerned of their responsibility in making the workplace safer.

Recently Dock safety week was celebrated from 23rd Nov 2018 to 29th Nov 2018 in DPT, in which various activities was conducted as under.

- Inauguration ceremony
- March pass
- Safety pledge ceremony
- Trainings
- Safety competitions (Poster/Slogan/Poem competitions)
- Demonstration of PPEs
- Demonstrations of firefighting equipment,
- Banner Display
- Safety slogan display in daily berthing list to all port users & trade associations
- Prize distribution

8. Dock safety committee meeting:

Dock safety committee meeting is being conducted quarterly to discuss various safety agenda for improving safety in DPT. The meeting is being chaired by Dy. Chairman-DPT along with participation of other dock safety committee members including port users, DPT employees & trade union members. Minutes of dock safety committee meeting is prepared and shared with all members for necessary compliance.
Apart from dock safety committee meeting, a subcommittee is also formed which meets monthly for discussing various action plan of dock safety committee for timely compliance.

9. Improvement in mobile equipment & gangway:

- Total 4 nos. of 65 feet gangways prepared for easy approach from wharf to ship.
- Over hoisting Limit Switch & Boom limit switch provided in crane & hydra equipment.

10. Measures for controlling coal dust in port:

- Rigorous implementation of Coal Handling Standard Operating Procedure.
- Water sprinkler system installed at coal storage plots.
- Water tankers along with water spray monitor deployed by port users for spraying water on coal storage area.
- Sweeping tractors used to clean the wharf & roads.
- Wind screens are installed at various locations in DPT for containing coal dust propagation.

11. Health facilities in port:

- Designated Occupational Health Centre of DPT is available at Kandla.
- 24 X 7 First Aider is deputed at cargo inside DPT to mitigate the emergency requirement. Signage also provided at road side for easy identification of first aid center.
- 24 X 7 Ambulance Van is deputed inside DPT
- First Aid Centre is available with all required facilities.
- Total 15 nos. of First Aid Boxes are installed at various locations in DPT for using in case of emergency situation.
- Periodical medical examinations are being conducted for dock workers.

## 10. Environmental Protection: -

For environment protection, Deendayal Port Trust has carried out following activities:

- Preparation of Environmental Management and Monitoring Plant (EMMP) or Green Plan

The DPT had already prepared EMMP plan during the year 2016 through M/s Detox Corporation, Surat which was subsequently, updated during the year 2017-18.

- कार्यस्थलों पर सांविधिक अपेक्षाओं और पेशेवर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के साथ साथ आवश्यकता पर आधारित गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देना ।
- कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए नियोजकों, कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को उनके दायित्व का स्मरण कराना .

हाल ही में डीपीटी में 23 नवंबर, 2018 से 29 नवंबर 2018 तक गोदी सुरक्षा सप्ताह मनाया गया जिसमें विभिन्न गतिविधियां संचालित की गई, जो निम्नवत् हैं :

- उद्घाटन समारोह
- मार्च पास
- सुरक्षा प्रतिज्ञा समारोह
- प्रशिक्षण
- सुरक्षा संबंधी प्रतियोगिताएं (पोस्टर/नारे/काव्य प्रतियोगिताएं)
- पीपीई का प्रदर्शन
- अग्निशमन उपस्करों का प्रदर्शन
- बैनरों का प्रदर्शन
- सभी पोर्ट उपयोगकर्त्ताओं और ट्रेड एसोसिएशनों के दैनिक बर्थिंग सूची में सुरक्षा नारों का प्रदर्शन
- पुरस्कार वितरण

8. गोदी सुरक्षा समिति की बैठक :

डीपीटी में सुरक्षा संबंधी सुधार लाने हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंडे पर चर्चा करने के लिए त्रैमासिक रूप से गोदी सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
पोर्ट उपयोगकर्त्ताओं, डीपीटी कर्मचारियों एवं ट्रेड यूनियन के सदस्यों सहित अन्य गोदी सुरक्षा समिति के सदस्यों की भागीदारी के साथ इस बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष -डीपीटी द्वारा की जाती है । गोदी सुरक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाता है और तत्संबंधी आवश्यक अनुपालन हेतु सभी सदस्यों को दिया जाता है । गोदी सुरक्षा समिति की बैठक के अलावा एक उप समिति भी बनाई गई है जो गोदी सुरक्षा समिति की विभिन्न कार्ययोजना के यथासमय अनुपालन पर मासिक रूप से चर्चा करती है ।

9. मोबाइल उपस्कर एवं गैंगवे में सुधार :

- भरणघाट से जहाज तक सहजता से पहुंचने हेतु 65 फीट के कुल 4 गैंगवेज़ बनाए गए ।
- क्रेन एवं हाइड्रा उपस्कर में अति उच्चालन सीमा स्विच एवं बूम सीमा स्विच उपलब्ध कराए गए ।

10. पोर्ट में कोयले की धूल को नियंत्रित करने के उपाय:

- कोयला प्रहस्तन मानक परिचालन प्रक्रिया का कठोर कार्यान्वयन।
- कोयला भंडारण भूखंडों पर जल छिड़काव प्रणाली संस्थापित ।
- कोयला भंडारण क्षेत्र पर पानी के छिड़काव के लिए पोर्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा तैनात पानी के टैंकर के साथ पानी के स्प्रे मॉनिटर ।
- घाट और सड़कों को साफ करने के लिए सफाई ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है।
- दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में कोयले की धूल के फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर विंड स्क्रीन स्थापित की गई हैं

11. पोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाएं:

- कंडला में डीपीटी का नामित व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है। आपातकालीन आवश्यकता को कम करने के लिए डीपीटी के अंदर कार्गो पर 24 X 7 प्राथमिक चिकित्सा नियुक्त है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की आसान पहचान के लिए सड़क किनारे साइनबोर्ड भी उपलब्ध है।
- डीपीटी के अंदर 24 X 7 एम्ब्युलेंस तैनात है ।
- सभी आवश्यक सुविधाओं सहित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र उपलब्ध है।
- आपातकालीन परिस्थिति में उपयोग हेतु डीपीटी में विभिन्न स्थानों पर 15 प्राथमिक चिकित्सा पेटियां संस्थापित की गई है।
- गोदी श्रमिकों के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

10. **पर्यावरण संरक्षण:-**

पर्यावरण संरक्षण के लिए दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं : -

- पर्यावरण प्रबंधन एवं निगरानी योजना (ईएमएमपी) अथवा हरित योजना तैयार करना

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने वर्ष 2016 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन एवं निगरानी योजना (मैसर्स डीटॉक्स कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड, सूरत द्वारा पहले ही तैयार कर ली है जिसे वर्ष 2017-18 के दौरान अद्यतन किया गया है ।

- For acquiring Equipment required for monitoring Environmental Pollution: -

Deendayal Port Trust do not have to acquire equipment for the monitoring environmental pollution, as DPT already has appointed consultant i.e. M/s. Detox Corporation Private Limited, Surat for "Preparing and Monitoring of Environmental Management Plan for Deendayal Port Trust at Kandla"

- Instruments for Marine Water, Drinking water, STP: -

| Sr. NO | Name of Instrument | Qty |
|---|---|---|
| 1 | pH Meter – Handy make Hana | 1 |
| 2 | pH Meter –Bech Top make Toshniwal | 1 |
| 3 | Turbidity Meter Table type make Labtronics | 1 |
| 4 | Colony Counter Table type make Labtronics | 1 |
| 5 | Compound Microscope Binocular | 1 |
| 6 | Filtration Assembly Glass make J-Sil | 1 |
| 7 | COD Digester with 15 Glass ware set | 1 |
| 8 | Handy TDS Meter | 1 |
| 9 | Conductivity Meter table type | 1 |
| 10 | Vacuum Pump | 1 |
| 11 | Soxhlet Extraction Heating mantle type (6 pocket) | 1 |
| 12 | Thermometer (0 to 110) | 1 |
| 13 | Hot Oven (0 to 350) | 1 |
| 14 | UV Spectrophotometer | 1 |
| 15 | Niskin Sampler | 1 |
| 16 | Magnetic Stirrer | 1 |
| 17 | BOD incubator | 1 |
| 18 | Hot Plate | 1 |
| 19 | E Optical Balance (0.0000 gm) | 1 |
| 20 | Dhona 200D Balance | 1 |
| 21 | Hot Mantle (500 ml) | 1 |
| 22 | Hot Mantle (1 Lit) | 1 |

- Instruments Ambient Air Quality Monitoring: -

| Sr. NO | Name of Instrument | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Respirable Dust Sampler | 8 |
| 2 | Fine Particulate Sampler | 8 |

- Instruments for Soil/Sediments and Noise Monitoring: -

| Sr. NO | Name of Instrument | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Grab Sampler | 1 |
| 2 | Noise meter | 2 |

- Instruments for Weather Station: -

| Sr. NO | Name of Instrument | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Automatic Weather station | 2 |

- For acquiring dust suppression system:

DPT installed Sprinkling system inside Cargo Jetty area for Coal Dust Suppression in Coal Yard (40 Hectares area).

- पर्यावरण प्रदूषण संबंधी निगरानी हेतु अपेक्षित उपस्कर का अभिग्रहण:-

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी हेतु उपस्कर का अर्जन नहीं करना पड़ता है क्योंकि डीपीटी ने "कंडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने एवं तत्संबंधी निगरानी" हेतु एक परामर्शदाता अर्थात् मैसर्स डीटॉक्स कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड, सूरत की नियुक्ति पहले ही कर ली है ।

- समुद्री जल, पेयजल, एसटीपी हेतु उपकरण :-

| क्र.सं. | उपकरण का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | पीएच मीटर- हैंडी मेक हाना | 1 |
| 2 | पीएच मीटर- बेक टॉप मेक तोशनीवॉल | 1 |
| 3 | टर्बीडिटी मीटर टेबल टाईप मेक लैबट्रॉनिक्स | 1 |
| 4 | कॉलोनी काउन्टर टेबल टाईप मेक लैबट्रॉनिक्स | 1 |
| 5 | कम्पाउन्ड माईक्रोस्कोप बाईनोक्यूलर | 1 |
| 6 | फिल्टेशन एसेम्बली ग्लास मेक जे-सिल | 1 |
| 7 | 15 ग्लास वेयर सेट सीओडी डॉईजेस्टर सहित | 1 |
| 8 | हैन्डी टीडीएस मीटर | 1 |
| 9 | कंडक्टिविटी मीटर टेबल टाईप | 1 |
| 10 | वैक्यूम पंप | 1 |
| 11 | सॉक्स्हेलेट एक्सट्रैक्शन हीटिंग मैन्टल टाईप (6 पॉकेट) | 1 |
| 12 | थर्मामीटर (0 से 110) | 1 |
| 13 | हॉट ऑवन (0 से 350) | 1 |
| 14 | यू वी स्प्रेक्ट्रोफोटोमीटर | 1 |
| 15 | निसक्नि सैम्पलर | 1 |
| 16 | मैगनेटिक स्टिरर | 1 |
| 17 | बीओडी इनक्यूबेटर | 1 |
| 18 | हॉट प्लेट | 1 |
| 19 | ई ऑप्टिकल बैलेंस (0.0000 ग्राम) | 1 |
| 20 | धोना 200डी बैलेंस | 1 |
| 21 | हॉट मैन्टल (500 मिली) | 1 |
| 22 | हॉट मैन्टल (1 लीटर) | 1 |

- परिवेश वायु की गुणवत्ता की निगरानी हेतु उपकरण :-

| क्र.सं. | उपकरण का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | रेस्पीरेबल डस्ट सैम्पलर | 8 |
| 2 | फाइन पार्टिकुलेट सैम्पलर | 8 |

- मिट्टी/तलछट तथा ध्वनि की निगरानी करने वाले उपकरण :-

| क्र.सं. | उपकरण का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | ग्रैब सैम्पलर | 1 |
| 2 | नोइज मीटर | 2 |

- मौसम स्टेशन हेतु उपकरण :-

| क्र.सं. | उपकरण का नाम | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | स्वचालित मौसम स्टेशन | 2 |

- धूल-शमन प्रणाली के अभिग्रहण हेतु :

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने नौभार जेटी क्षेत्र में कोयला यार्ड में कोयले से होनेवाली धूल के शमन के लिए छिड़काव प्रणाली का संस्थापन किया है (40 हैक्टेयर क्षेत्र).

- For setting up of sewage/waste water treatment plants /garbage disposal plant:

DPT is having STP at Kandla with capacity 1.5 MLD and at Gopalpuri with capacity 0.6 MLD.

- For Plantation: -

1. DPT appointed M/s GEMI, Gandhinagar vide work Order dated 29/6/2019 as an Advisor for "Making Deendayal Port a Green Port - Intended Sustainable Development under the Green Port Initiatives".
2. DPT entrusted the work of Green Belt development in an around Kandla area to the Forest Department, Government of Gujarat (Social forestry Division, Bhuj) at a cost of Rs. 352.00 lakhs (Planting about 35200 trees) in DPT area (MoU executed between DPT & Forest dept on 1/8/2019). The work is in progress.
3. DPT allotted area to Rotary Club of Gandhidham for carrying out Green belt development in an area of about 25 acres in Gandhidham.
4. DPT also undertaken/planning to undertake Green belt development at various locations in an around Gandhidham area.

- For setting up of projects for energy generation from renewable energy sources:

- DPT has been assigned a target of 20 MW of renewable energy by the Ministry of Shipping,
- The 2nd Phase of 14MW wind power project awarded to M/s. SUZLON Energy Ltd. has been commissioned in march 2019.
-

- Use of Biodiesel and any other activity which is part of WMMP:

- Bio-diesels may be used on the diesel engines of tugs, launches and other equipment. However, this technology in India is at its preliminary stages. It is understood that 5% to 10% blend of bio-diesel with normal diesel is being targeted in India. At present bio-diesel is not available in Kandla, hence the same is not being used in Kandla Port Trust. Whenever the same is made available in Kandla, its use in port equipment will be examined in consultation with engine manufacturers.
- Completion of shortfalls of Oil Spill Response (OSR) facilities (Tier I)
- In so far as Oil Spill Response facilities Tier-I at Kandla Port Kandla is concerned, it is stated that the same has been commissioned.
- In so far as Oil Spill Response facilities Tier-I at Vadinar is concerned, it is stated that the work is completed on dated 8th December, 2017.

- Improve Quality of Harbour Waters: -

Monthly report of Ballast water Management Exchange Form is sent to DGCOMM Centre.

- Implement of sustainable practices in Terminal Design Development and Operations: -

Deendayal Port will plan, design & operate the entire proposed terminal as per Is Standard with high quality of work. In addition of this design, DPT will also plan for automation system considering pollution free port to keep the port as Green Port.

- Prohibition of disposal of almost all kinds of garbage sea: -

Deendayal Port Trust has already prepared Environmental Management program i.e. "Control of sea garbage from various sources under ISO 140001:2001 Certification in which target and action plans have been prepared for controlling sea garbage like "segregation of waste in plastic, paper, food and other waste". "Monitoring of vessel for sea garbage", "identification of various sources for generation of waste etc.

- मलजल/अपशिष्ट जल संयंत्रो/कचरा निपटान संयंत्र की स्थापना हेतु :-

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कंडला में एसटीपी है जिसकी क्षमता 1.5 एमएलडी है और गोपालपुरी में जिसकी क्षमता 0.6 एमएलडी है.

- वृक्षारोपण हेतु :-

1. दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने मेसर्स जीईएमआई, गांधीनगर को दिनांक 29/6/2019 के कार्य आदेश द्वारा "दीनदयाल पोर्ट को ग्रीन पोर्ट बनाने - ग्रीन पोर्ट पहल के तहत सतत विकास प्रयोजन" हेतु एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।
2. दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने कंडला में और उसके आसपास के क्षेत्र में हरित पट्टी के विकास का काम वन विभाग, गुजरात सरकार (सामाजिक वानिकी प्रभाग, भुज) को रुपये 352.00 लाख की लागत पर डीपीटी क्षेत्र में (लगभग 35200 पेड़ लगाने हेतु) सौंपा गया। (डीपीटी और वन विभाग के बीच 1/8/2019 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया) कार्य प्रगति पर है।
3. डीपीटी ने रोटरी क्लब ऑफ गांधीधाम को गांधीधाम में लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र में हरित पट्टी के विकास के लिए क्षेत्र आबंटित किया।
4. डीपीटी ने गांधीधाम और के आसपास के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर हरित पट्टी के विकास का कार्य किया/कार्य करने की योजना भी बना रहा है।

- नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने संबंधी परियोजना की स्थापना हेतु:

- पोत-परिवहन मंत्रालय द्वारा डीपीटी को 20 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य दिया गया,
- दूसरे चरण में मैसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को 14 मेगावॉट पवन ऊर्जा परियोजना प्रदान की गई जो कि मार्च, 2019 में प्रारंभ हो चुकी है ।

- बायोडीजल एवं कोई अन्य गतिविधि,का प्रयोग जो डब्ल्युएमएमपी का हिस्सा है :

बायो-डीजल का उपयोग कर्षनौकाओं, लांचो के इंजिनों एवं अन्य उपस्करों हेतु किया जा सकता है । तथापि, भारत में यह तकनीक अपने प्रारंभिक चरण में है। यह समझा जाता है कि भारत में सामान्य डीजल के साथ 5% से 10% तक बायोडीजल के मिश्रण को लक्षित किया जा रहा है। वर्तमान समय में कंडला में बायोडीजल उपलब्ध नहीं है, अतः दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कंडला में यह उपलब्ध होने पर इंजिन निर्माताओं के साथ परामर्श कर पोर्ट उपस्करों में इसके उपयोग की जांच की जाएगी ।

तेल रिसाव प्रतिक्रिया (ओएसआर) सुविधाओं (टीयर-I) की कमी को पूरा करना ।

जहां तक कंडला पोर्ट, कंडला में तेल रिसाव प्रतिक्रिया सुविधाओं टीयर-I का संबंध है, यह बताया जाता है कि इसकी शुरूआत हो चुकी है ।

जहां तक वाड़ीनार में तेल रिसाव प्रतिक्रिया सुविधाओं टीयर-I का संबंध है, यह बताया जाता है कि तत्संबंधी कार्य दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 को पूरा हो गया है ।

- हार्बर जल की गुणवत्ता में सुधार :-

बैलास्ट जल प्रबंधन विनिमय फॉर्म की मासिक रिपोर्ट डीजीसीओएमएस सेन्टर को भेजी जाती है ।

- टर्मिनल डिजाईन विकास एवं प्रचालनों में सतत प्रथाओं का कार्यान्वयन:-

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कार्य की उच्च गुणवत्ता सहित तत्संबंधी मानक के अनुसार समग्र प्रस्तावित टर्मिनल की योजना बनाएगा, डिजाइन तैयार करेगा एवं प्रचालन करेगा । इस डिजाइन के साथ-साथ, डीपीटी पोर्ट को हरित पोर्ट के रूप में बनाए रखने के लिए प्रदूषण मुक्त पोर्ट पर विचार करते हुए एक स्वचालन प्रणाली संबंधी योजना भी तैयार करेगा।

- समुद्र में लगभग सभी प्रकार के अपशिष्ट के निपटान का निषेध :-

दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम पहले ही बना लिया है अर्थात् आईएसओ 14001:2001 प्रमाणन के तहत विभिन्न स्रोतों से समुद्री अपशिष्ट का नियंत्रण जिसमें "प्लास्टिक, कागज, खाद्यपदार्थ एवं अन्य अपशिष्ट " , "समुद्री अपशिष्ट हेतु जलयानों की निगरानी", "अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले स्रोतो की पहचान" आदि जैसे समुद्री अपशिष्ट का नियंत्रण करने के लिए लक्ष्य एवं कार्य योजना तैयार कर ली गई है ।

- Provision of adequate reception facilities in ships as per IMO guidelines and resolution: -

Deendayal Port is certified by Gujarat Pollution Control Board (GPCB) for complying with all regulations of Water (prevention & control of pollution) Act-1974, Hazardous waste (Management & Handling & Trans boundary movement rules, 2008) under Environmental Protection Act 1986. A certificate to this effect has been issued by Gujarat Pollution Control Board valid up to 21/07/2020.
DPT has outsourced the collection, removal & transportation of waste oil, sludge, dirty ballast, pre-wash, dry solid waste etc. to Contractors holding GPCB license. Before issuing license, it is ensured that Contractors possess necessary facilities like Incinerator facility, Storage yard and other disposal facilities for hazardous/nonhazardous waste. These facilities are inspected & certified by GPCB based on which Deendayal Port issues licenses to Contractors for collection, transportation and disposal of garbage, sludge, pre-wash, dirty ballast and other waste.
These contractors collect, handle & dispose of the above substances as per GPCB guidelines and furnish report of the same to KPT as well as GPCB. A monthly report is also being furnished to D.G. Shipping.
DPT has a storage facility for dirty ballast, pre-wash, sludge etc. since last 11 years but the same is not being used by Vessels visiting the Port. Hence all such activities have been outsourced to licensed contractors who possess facilities required by GPCB & Marpol. This arrangement is working very well since years and Port has been able to cater with all requirement of vessels visiting the Port and has been able to provide services of collection of garbage, sludge, waste oil, prewash, dirty ballast etc. at very economical rates.
Each and every vessel is being inspected by KPT Officials with reference to Oil Record Book, Garbage Record Book & Water Ballast Exchange Plan. Strict compliance of MARPOL 1973/78 is being ensured.
Oil Spill Response: So far as Oil Spill Response facilities Tier I at DPT, Kandla & Vadinar is concerned, it has been commissioned.

## 11. Notable events/General: -

The Kandla Port Trust continues its No. 1 Position amongst Indian Major Ports during the fiscal 2018-19 and has retained its top most position for the twelfth year in a row and achieved the 115.4 MMT mark in 2018-19. Thereby, achieving an increase of over 4.82% in cargo throughput, as compared to the last year i.e. FY 2017-18. Some of the important events are enumerated below: -

### (A) HANDLING OF CARGO

1. For 12th year in a row, DPT stood at No. 1 position in cargo handling among India's Major ports, a feat yet to be accomplished.
2. The year closed with a record cargo throughput of 115.40 MMT, surpassing its own previous best of 110.10 MMT plus handled in FY 2017-18. By doing so, it surpassed the Ministry's cargo handling target of 112 MMT and the RFD target of 112.60 MMT. This was achieved despite a loss of more than 3.06 MMT of cargo at Vadinar, due to Essar refinery shutdown during the course of the financial year.
3. The port handled metro coaches as new cargo for the first time.
4. The port created a new 24 hrs. cargo handling record when the vessel MV Veenus handled 58000 MTs of salt in 24 hrs. at cargo berth No. 7 on 11.10.18, surpassing the previous best 24 hrs. handling record of 42466 MTs ex MV Star Cemera on 7.7.2008.
5. The port handled 2.43 lakh TEU of containers which is the highest in the history of DPT.
6. The port handled a record number of 2903 vessels surpassing its previous best of 2747 vessels handled in 2017-18.
7. During FY 2018-19, the port earned 3.44 crores penalty from 120 liquid tankers and 4.86 crores penalty from 68 Dry cargo vessels, through penal berth hire charges on account of non-achievement of Port's (DPT's) cargo productivity norms, by the respective vessels in the concerned category

### (B) POLICY FRONT

The port revised its tariff in the Scale of Rates during FY 2018-19, which earned the port additional revenues.

- आईएमओ दिशानिर्देशों एवं संकल्प के अनुसार जहाजों में पर्याप्त स्वागत सुविधाओं का उपबंध:-

दीनदयाल पोर्ट को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जल (प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम) अधिनियम-1974, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन तथा ट्रांस बाउंड्री आवागमन नियम, 2008) के सभी विनियमों का अनुपालन करने हेतु प्रमाणित किया गया है । गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जो दिनांक 21/7/2020 तक वैध है।

डीपीटी ने जीपीसीबी लाइसेंसधारी ठेकेदारों को अपशिष्ट तेल, कीचड़, गंदे गिट्टी, प्री-वॉश, शुष्क ठोस अपशिष्ट, आदि का संग्रह करने, हटाने एवं परिवहन-कार्य हेतु बाह्य स्रोत ठेका दिया है । लाइसेंस जारी करने से पूर्व यह जांच की जाती है कि ठेकेदार के पास दहनभट्टी, भंडारण यार्ड तथा जोखिमपूर्ण/गैर जोखिमपूर्ण अपशिष्ट एवं अन्य अपशिष्ट के निपटान संबंधी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं की जांच एवं परीक्षण जीपीसीबी द्वारा किया जाता है जिसके आधार पर दीनदयाल पोर्ट ठेकेदारों को अपशिष्ट, कीचड़, प्री-वॉश, गंदे गिट्टी तथा अन्य अपशिष्ट का संग्रह, परिवहन एवं निपटान करने हेतु लाइसेंस जारी करता है ।

ये ठेकेदार जीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त पदार्थों का संग्रह, संभाल एवं निपटान करते हैं और तत्संबधी रिपोर्ट डीपीटी तथा जीपीसीबी को प्रस्तुत करते हैं । महानिदेशक पोत परिवहन को भी एक मासिक रिपोर्ट भेजी जा रही है ।

डीपीटी के पास विगत 11 वर्षों से गंदे गिट्टी, प्री-वॉश, कीचड़ इत्यादि की भंडारण-सुविधा उपलब्ध है परंतु पोर्ट में आनेवाले जलयानों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है । अतः ऐसी सभी गतिविधियों के लिए वाह्य-स्रोतों का उपयोग करते ऐसे लाइसेंसधारी ठेकेदारों जिनके पास जीपीसीबी एवं मारपोल द्वारा अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं को ठेका दिया गया है। यह व्यवस्था वर्षों से कारगर रही है और पोर्ट, में आनेवाले जलयानों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा अपशिष्ट, कीचड़, अपशिष्ट तेल, प्री-वॉश, गंदे गिट्टी, आदि के संग्रहण से संबंधित सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है।

डीपीटी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक जलयान का तेल रिकॉर्ड पुस्तिका, अपशिष्ट रिकार्ड पुस्तिका तथा जल गिट्टी विनिमय योजना से संबंधित परीक्षण किया जाता है। मारपोल 1973/78 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है ।

तेल रिसाव प्रतिक्रिया:- जहां तक डीपीटी, कंडला और वाड़ीनार में तेल रिसाव प्रतिक्रिया सुविधाओं टीयर-I का संबंध है, यह कार्यशील हो चुकी है।

## 11. उल्लेखनीय घटनाएं/सामान्य:-

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारतीय महापत्तनों में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट निरंतर प्रथम स्थान पर बना रहा और लगातार 12वें वर्ष पंक्ति में अपनी शीर्षस्थ स्थिति को बनाए हुए है तथा 2018-19 में 115.4 एमएमटी के कीर्तिमान को प्राप्त किया है । जिससे गत वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में नौभार थ्रूपुट में 4.82% से अधिक की वृद्धि हुई। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नीचे वर्णित किया गया है :-

### (क) नौभार का प्रहस्तन

1. लगातार 12वें वर्ष पंक्ति में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भारतीय महापत्तनों में नौभार प्रहस्तन में निरंतर प्रथम स्थान पर बना रहा, और एक कमाल अभी भी किया जाना बाकी है ।

2. यह वर्ष 115.40 एमएमटी के रिकॉर्ड कार्गो थ्रूपुट के साथ बंद हुआ, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 110.10 एमएमटी से अधिक के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ से आगे निकल गया। ऐसा करने पर, इसने मंत्रालय के 112 एमएमटी के कार्गो हैंडलिंग लक्ष्य और 112.60 एमएमटी के आरएफडी लक्ष्य को पार कर लिया। वित्तीय वर्ष के दौरान एस्सार रिफाइनरी के बंद होने के कारण वाड़ीनार में 3.06 एमएमटी से अधिक के नौभार नुकसान के बावजूद यह हासिल किया गया था।

3. पोर्ट ने पहली बार नए नौभार के रूप में मेट्रो कोचों का प्रहस्तन किया ।

4. पोर्ट ने एक नया 24 घंटे नौभार प्रहस्तन रिकार्ड बनाया जब जलयान एमवी वीनस ने 11.10.18 को नौभार घाट संख्या 7 पर 24 घंटे में 58000 मीट्रिक टन नमक का प्रहस्तन किया, जो 7.7.2008 को एमवी स्टार सेमेरा के पिछले सबसे अच्छे 24 घंटे के दौरान 42466 मीट्रिक टन के रिकॉर्ड को पार कर गया ।

5. पोर्ट ने 2.43 लाख टीईयू कंटेनर का प्रहस्तन किया जो डीपीटी के इतिहास में सबसे अधिक है।

6. पोर्ट ने पिछले सबसे अच्छे 2017-18 में संभाले गए 2747 जलयानों की रिकॉर्ड संख्या को पार करते हुए 2903 जलयानों का प्रहस्तन किया ।

7. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पोर्ट ने 120 तरल टैंकरों से 3.44 करोड़ जुर्माना और 68 शुष्क नौभार जलयानों से 4.86 करोड़ जुर्माना संबंधित जहाजों द्वारा संबद्ध श्रेणी में पोर्ट (डीपीटी के) नौभार उत्पादकता मानदंडों की गैर-उपलब्धि के कारण दंडित घाट भाड़ा प्रभारों के माध्यम से अर्जित किया ।

### (ख) नीति विषयक पक्ष (फ्रन्ट)

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पोर्ट ने अपने टैरिफ के दर-मान को संशोधित किया, जिससे पोर्ट को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।